न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 5/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री सुमत प्रकाश जैन विक्रेता मैसर्स–अरिहन्त एजेन्सीज बांदीकुई रोड, सिकन्दरा जिला दौसा।
2. श्री कमल कुमार पुत्र श्री पदम चन्द जैन विक्रेता मैसर्स–अरिहन्त एजेन्सीज बांदीकुई रोड, सिकन्दरा जिला दौसा।
3. **Shri Harendra singh solanki IC/Nominee varun beverages limited plot no- sp 290-292Riico Industrial area 7 chopanki bhiwadi distt. Alwar 301019**
4. **M/S Varun beverages limited plot no- sp 290-292Riico Industrial area 7 chopanki bhiwadi distt. Alwar 301019**

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1, 2 व 4 उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 7.3.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 19.5.2015 को दोपहर बाद 5:30 बजे मैसर्सः– अरिहन्त एजेन्सीज बांदीकुई रोड, सिकन्दरा जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री सुमत प्रकाश जैन उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। जो संलग्न है।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में 200 एमएल टेट्रा पैकिंग में पैक **Mango drink Slice** के 24 कार्टून में पैक आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर इनमे से 1 कार्टून खोलकर 200 एमएल **X 20** टेट्रा **Mango drink Slice** नमूने की जांच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 280 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया जो संलग्न है।

यह है कि खरीदशुदा 20 टेट्रा पैकिंग से 5–5 टेट्रा पैकिंग एक जगह कर चार पैकिट तैयार कियें। चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा **Mango drink Slice** के मूल पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

से मोडकर कागज में लपेट कर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1079 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 21.5.2015 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.5.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 22.5.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ **Mango drink Slice** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस. / 1085 / एक्ट / 2015 / 796 दिनांक 20.7.2015 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Mango drink Slice** का नमूना मिसब्रान्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1, 2 व 4 की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी स0 1, 2 व 4 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ **Mango drink Slice** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अन्तर्गत मिसब्राण्ड होना अंकित किया गया है जो निराधार है। प्रकरण ड्रोप फरमाने की कृपा करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य पदार्थ **Mango drink Tropicana Slice** के नमूने के लेबल पर **ADDED FLAVOUR (NATURAL AND NATURE IDENTICAL FLAVOURING SUBSTANCES)** प्रिन्ट किया गया है जो **Regulation No. 2.2.2(5)(ii)(c) of safety & standards packaging and labeling regulations 2011 and regulation no. 3.1.10(1)(i) of Food safety & standards (Food products standards and Food Additives) Regulations. 2011** का उल्लंघन है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

हमने उभयपक्ष कि बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1085 / एक्ट / 2015 / 796 दिनांक 20.7.2015 के अनुसार उक्त खाद्य उत्पाद **Mango drink Slice** मिसब्राण्ड पाया गया जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) का उल्लंघन है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ फ्रूट ड्रिंक **Mango drink Slice** मिसब्राण्ड का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लघंन करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त सं 4 **M/S Varun beverages limited plot no- sp 290-292 Riico Industrial area 7 chopanki bhiwadi distt. Alwar 301019** पर 5000 / –(अक्षरे पांच हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 7.3.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक / 8361-66

दिनांकः– 7.3.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री सुमत प्रकाश जैन विक्रेता मैसर्स–अरिहन्त एजेन्सीज बांदीकुई रोड, सिकन्दरा जिला दौसा।
4. श्री कमल कुमार पुत्र श्री पदम चन्द जैन विक्रेता मैसर्स–अरिहन्त एजेन्सीज बांदीकुई रोड, सिकन्दरा जिला दौसा।
5. **Shri Harendra singh solanki IC/Nominee varun beverages limited plot no- sp 290-292Riico Industrial area 7 chopanki bhiwadi distt. Alwar 301019**
6. **M/S Varun beverages limited plot no- sp 290-292Riico Industrial area 7 chopanki bhiwadi distt. Alwar 301019**

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा